

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

/// जापन ///

क्रमांक-3533/दो-11-1/2020

दमोह, दिनांक 06/10/25

प्रति,

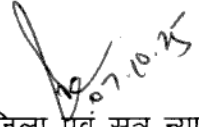
समस्त न्यायालय (कुटुंब न्यायालय सहित)
दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा
जिला दमोह, मध्यप्रदेश

विषय :- तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, जिला स्थापना दमोह पर गठित विभागीय प्रशिक्षण समिति दमोह की अनुशंसा दिनांक 06.10.2025 के आधार पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह द्वारा इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण (कुल 164) का दो सत्रों दिनांक 06, 07, 08 नवंबर 2025 एवं दिनांक 10, 11, 12 नवंबर 2025 में प्रशिक्षण आयोजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

यथाआदेश अनुरोध है कि, संलग्न कैलेंडल/समय सारणी अनुसार, आप अपने अधीनस्थ पदस्थ समस्त कर्मचारियों को उपरोक्त प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह म0प्र0